सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

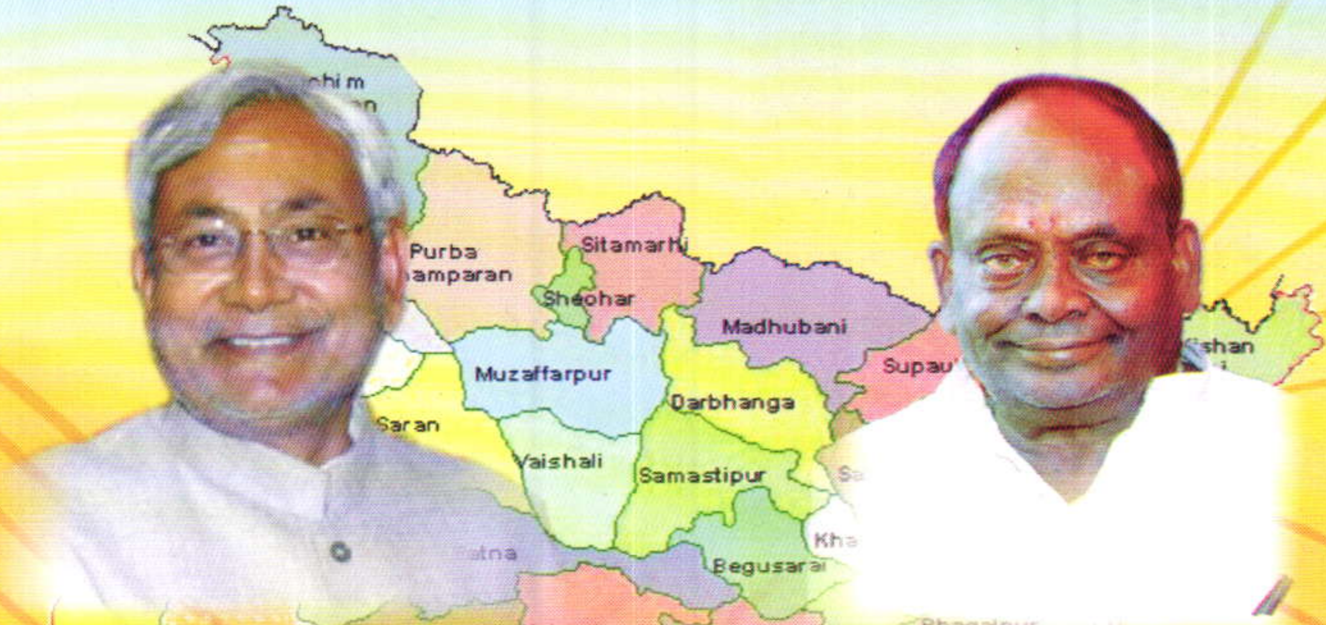

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

श्री रमई राम
मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार

वार्षिक प्रतिवेदन

2012 - 2013

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन – 2012–13

कार्य योजना – 2013–14

विषय–सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	संदेश	5
2	प्रस्तावना	7
3.	प्रशासनिक ढाँचा	10
4	वित्तीय वर्ष 2012–13 का बजट उदव्यय एवं 2013–14 का प्रस्तावित बजट उपबंध ।	14
5.	कल्याणकारी योजनाएँ	16
6	वर्ष 2013–14 की कार्य योजना	40

रमई राम
मंत्री
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार सरकार

दूरभाष : 0612–2217355 (कार्यालय+फैक्स)
0612–2252125 (आ0)
मोबाईल : 9431800990

पत्रांक :.......................   दिनांक :..........................

संदेश

राज्य सरकार इस कृषि प्रधान प्रदेश में पारदर्शी एवं सक्रिय भूमि प्रबंधन तथा भूमि विवादों के त्वरित निष्पादन हेतु कृत संकल्प है।

भूमि विवादों के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन के लिए बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के अधीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के न्यायालय अपना सक्रिय योगदान कर रहे हैं। साथ ही इस अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भी आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

भूमि से संबंधित मामलों के सुलभ निष्पादन हेतु न्यायिक मंच के अंतिम सोपान के रूप में बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम के अधीन बिहार भूमि न्यायाधिकरण सक्रिय हो चुका है।

समाज के उपेक्षित एवं कमजोर वर्गो यथा, महादलित, अन्य अनुसूचित जाति, जन–जाति एवं पिछड़ी जातियों के वासभूमि रहित परिवारों को सरकारी भूमि की बंदोवस्ती, बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत पर्चा के द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे परिवारों, जिन्हें इन भूमि स्रोतों से भूमि उपलब्ध कराना संभव नहीं है, उन्हें रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराई जा रही है। सर्वेक्षण के क्रम में किसी कारण सम्मिलित नहीं हुये अथवा सर्वेक्षण के उपरान्त वयस्क होकर पृथक परिवार के रूप में स्थापित हुये वासभूमि रहित महादलित परिवारों का पुनर्सर्वेक्षण कराकर वासभूमि उपलब्ध करायी जा रही है।

भूमि के प्रबंधन की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कड़ी भू–अभिलेखों का अद्यतनीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण है। सरकार द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाते हुये आधुनिक तकनीक से विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोवस्त प्रचालनों को प्रारम्भ कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य के सभी जिलों के अद्यतन चालू खतियान का कम्प्यूटरीकरण करते हुए विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

भूमि दाखिल खारिज एवं भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत समय–बद्ध रूप से निर्गत किये जा रहे है।

राज्य में विकास को गति एवं नये आयाम देने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि का हस्तान्तरण एवं भू–अर्जन द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जा रही है।

मुझे विश्वास है कि संवेदनशील एवं जनता के प्रति समर्पित सरकार द्वारा भूमि सुधार के बेहतर प्रबंधन की दिशा में उठाये गये लोक उपयोगी कदम से बिहार की जनता लाभान्वित होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सरकार द्वारा उठाये गये जन उपयोगी कार्यो के सफल क्रियान्वयन हेतु जनता की भागीदारी एवं सक्रिय सहयोग अपेक्षित है।

(रमई राम)

प्रस्तावना

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन में विभाग के स्तर से क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है।

वासभूमि रहित महादलित परिवारों को गृह स्थल उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना इस विभाग में चलायी जा रही है। भूमि की व्यवस्था कुल–4 स्रोतों से की जा रही हैः–

(क) गैर मजरूआ मालिक / खास भूमि स्रोत से अबतक कुल–64,544 महादलित परिवारों के साथ 1938.51 एकड़ भूमि बन्दोबस्ती की गयी है।

(ख) गैर मजरूआ आम भूमि स्रोत से 30,525 महादलित परिवारों के साथ 749.45 एकड़ भूमि की बन्दोबस्ती की जा चुकी है।

(ग) बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत अधिनियम, 1947 के तहत प्रश्रय प्राप्त 42294 महादलित परिवारों को 1237.70 एकड़ भूमि का पर्चा निर्गत किया जा चुका है।

(घ) जहाँ कही उपर्युक्त भूमि स्रोत उपलब्ध नहीं है, वहाँ रैयती भूमि क्रय की जा रही है। इस स्रोत से 32,961 महादलित परिवारों के बीच 988.91 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

सर्वेक्षण के क्रम में किसी कारण सम्मिलित नहीं हुये अथवा सर्वेक्षण के उपरान्त वयस्क होकर पृथक परिवार बन चुके वासभूमि रहित महादलित परिवारों का पुनर्सर्वेक्षण कराकर वासभूमि उपलब्ध करायी जा रही है।

इसके साथ–साथ अन्य अनुसूचित जातियों, जन जातियों एवं पिछड़े वर्गो के वासभूमि रहित परिवारों को वासभूमि हेतु सरकारी / बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 पर्चा द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जा रही है। भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में रैयती भूमि क्रय कर वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना भी चलायी जा रही है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत आधुनिक तकनीक से सर्वे मानचित्र के निर्माण हेतु नालन्दा, सारण, भागलपुर, मुंगेर एवं शेखपुरा जिला की हवाई फोटोग्राफी का कार्य पूरा कर लिया गया है। सर्वप्रथम पायलट आधार पर नालन्दा जिले के कुल 48 राजस्व ग्रामों का सर्वे मानचित्र सत्यापन हेतु बंदोबस्त कार्यालय, नालन्दा को उपलब्ध करा दिया गया है। अभी तक 29 राजस्व ग्रामों के मानचित्रों का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है। उक्त 29 ग्रामों में से 7 ग्रामों का खानापुरी पर्चा का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्य के शेष जिलों में आधुनिक तकनीक से सर्वे / री–सर्वे कार्य हेतु तीन अतिरिक्त एजेंसियों का चयन कर कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है।

भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत राज्य के 9 जिलों में चालू खतियान कम्प्यूटरीकृत कर विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर जिले के 14672 तथा मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी अंचल के 1152 शीट राजस्व मानचित्रों का डीजिटाईजेशन कराया गया है। शेष जिलों के राजस्व मानचित्रों के डीजिटाईजेशन कार्य हेतु तीन अतिरिक्त एजेंसियों का चयन कर कार्य आवंटित कर दिया गया है।

वर्ष 2012–13 के माह दिसम्बर तक दाखिल खारिज के कुल–11,77,066 मामलों का निष्पादन किया गया है। इसी तरह 2012–13 के माह दिसम्बर तक कुल–3,49,003 भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। उक्त दोनों विषय बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम में समाविष्ट है।

राज्य में भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत भूमि सुधार उप समाहत्ताओं के न्यायालय द्वारा भूमि विवादों का निपटारा किया जा रहा है। अबतक उनके द्वारा 20,296 वादों का निपटारा किया जा चुका है। भूमि से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु बिहार भूमि न्यायाधिकरण दिनांक–16.10.2012 से सक्रिय हो चुका है।

सी0 अशोकवर्धन
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना ।

बिहार राज्य एक नजर में

1. प्रमंडलों की संख्या	—	9
2. जिलों की संख्या	—	38
3. अनुमंडलों की संख्या	—	101
4. अंचलो की संख्या	—	534
5. हल्का की संख्या	—	4418
6. राजस्व ग्रामों की संख्या	—	45530

प्रशासनिक ढ़ाँचा

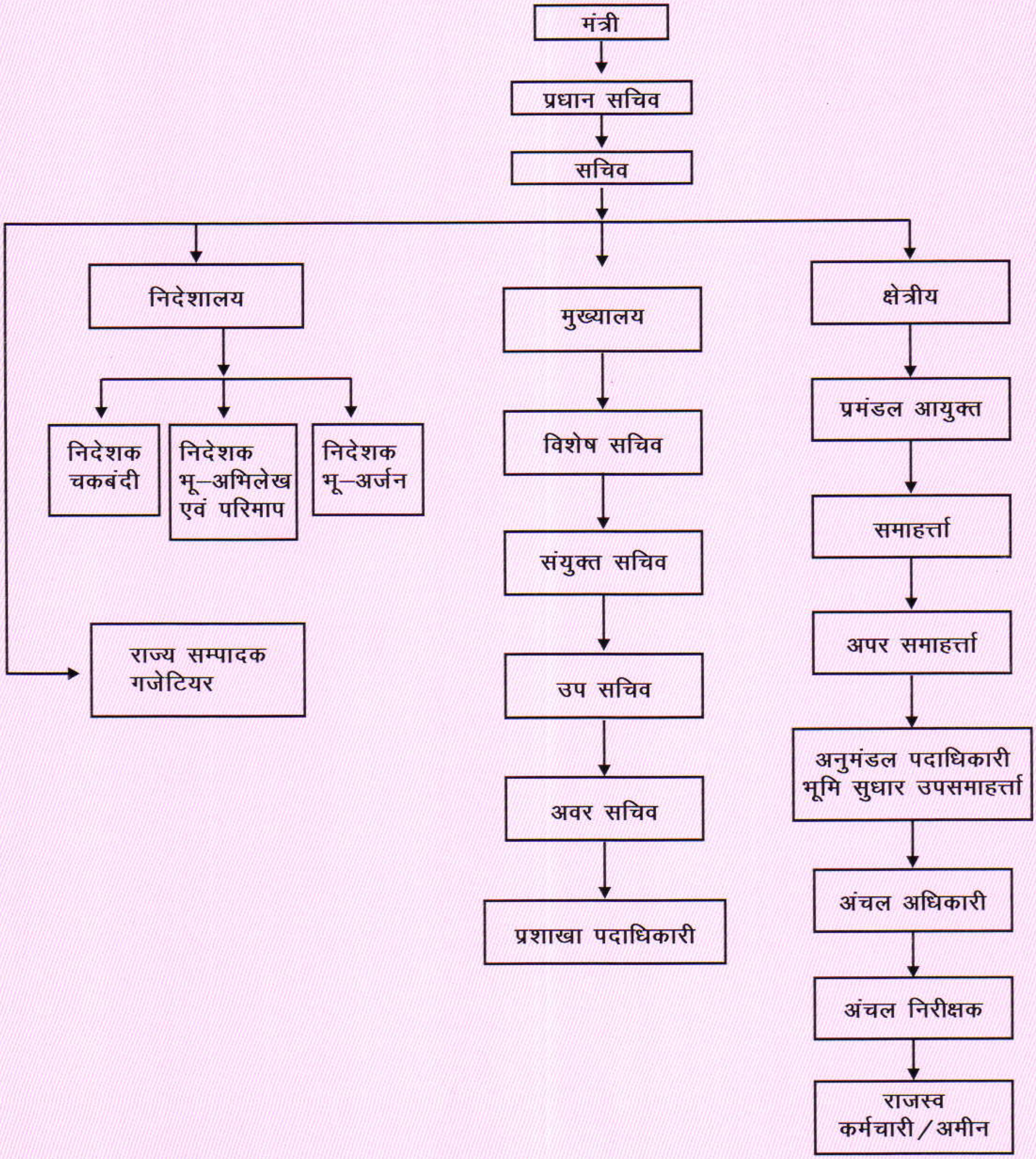
मंत्री
प्रधान सचिव
सचिव
निदेशालय
निदेशक चकबंदी
निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप
निदेशक भू–अर्जन
राज्य सम्पादक गजेटियर
मुख्यालय
विशेष सचिव
संयुक्त सचिव
उप सचिव
अवर सचिव
प्रशाखा पदाधिकारी
क्षेत्रीय
प्रमंडल आयुक्त
समाहर्त्ता
अपर समाहर्त्ता
अनुमंडल पदाधिकारी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
अंचल अधिकारी
अंचल निरीक्षक
राजस्व कर्मचारी / अमीन

भू–अभिलेख एवं परिमाप, निदेशालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय

- मुख्यालय
  - निदेशक
    - सहायक निदेशक
- क्षेत्रीय
  - बंदोबस्त पदाधिकारी
    - प्रभारी पदाधिकारी
      - सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी
        - कानूनगो
- बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजारबाग
  - उप निदेशक
    - सहायक निदेशक (प्रावैधिकी)
      - सहायक निदेशक (प्रशासन)
- राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया
  - प्राचार्य
    - अनुदेशक

चकबंदी निदेशालय

निदेशक

- मुख्यालय
  - संयुक्त निदेशक
    - उप निदेशक
- क्षेत्रीय
  - उप निदेशक
    - चकबंदी पदाधिकारी
      - सहायक चकबंदी पदाधिकारी

स्वीकृत पद / रिक्ति
(सचिवालय स्थित मुख्यालय)

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	भूमि सुधार आयुक्त–सह–प्रधान सचिव	1	1	0
2	निदेशक, चकबंदी	1	1	0
3	निदेशक, भू–अर्जन	1	1	0
4	निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप	1	1	0
5	राज्य सम्पादक, गजेटियर	1	0	1
6	अपर सचिव / विशेष सचिव	1	1	0
7	संयुक्त सचिव	2	0	2
8	उप सचिव (बि0प्र0से0)	1	0	1
9	उप सचिव (सचिवालय सम्वर्ग)	1	0	1
10	अवर सचिव (बि0प्र0से0)	5+1	3+1	2
11	प्रशाखा पदाधिकारी	20+1	14+1=15	6
12	सहायक	86+2	40	48
13	प्रधान आप्त सचिव	1	1	0
14	आप्त सचिव	2+3	0	2+3
15	निजी सहायक	7	3	4
16	आशुलिपिक	10+6	1	9+6

स्वीकृत पद/रिक्ति
(क्षेत्रीय स्थापना)

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	अपर समाहर्त्ता	38	38	0
2	भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता	101	100	01
3	अंचलाधिकारी	534	469	65
4	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी	38	22	16
5	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	60	44	16
6	अंचल निरीक्षक	800	153+232=385	415

विभागान्तर्गत महत्त्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति

1. **महादलित विकास योजना**—महादलित विकास योजना के अन्तर्गत वासभूमि रहित महादलित परिवारों को प्रति परिवार 03 डिसमिल वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना वित्तीय वर्ष 2009—10 से राज्य में लागू है।

इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम वासभूमि रहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक/खास, गैरमजरूआ आम तथा बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत बन्दोबस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है। जिन वासभूमि रहित परिवारों को उपर्युक्त श्रेणी के भूमि से आच्छादित नहीं किया जा सकता है, उन्हें रैयती भूमि की क्रय नीति के तहत 20000/— रूपए की वित्तीय अधिसीमा के अधीन प्रति परिवार 03 डिसमिल रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है।

अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार कुल 197845 वासरहित महादलित परिवार हैं, जिन्हें इस योजना के तहत वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है।

इस योजना के तहत अबतक कुल—64544 वासरहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक/खास भूमि की बन्दोबस्ती से लाभान्वित किया गया है, जिसमें सन्निहित रकबा 1938.51 एकड़ है। इसी प्रकार 30525 वासरहित महादलित परिवार को गैरमजरूआ आम भूमि के बन्दोबस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सन्निहित रकबा 749.45 एकड़ है। इस वित्तीय वर्ष में बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत कुल—42294 महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सन्निहित रकबा 1237.70 एकड़ है।

रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत रैयती भूमि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2012—13 में 3286/— लाख रूपए का बजट उपबन्ध है। यह राशि सभी जिलों को अवशेष महादलित परिवार की संख्या के आलोक में आवंटित कर दी गयी है। इस वित्तीय वर्ष में अबतक 795.09 लाख रूपए का व्यय किया गया है। इस मद में अबतक कुल—32961 वासरहित महादलित परिवारों को 03 डिसमिल प्रति परिवार के दर से रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराई गई है। इसमें कुल सन्निहित रकबा 988.91 एकड़ भूमि है।

गैरमजरूआ मालिक/खास भूमि की बन्दोबस्ती से आच्छादित महादलित परिवार

लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
वासरहित महादलित परिवार	परिवारों की संख्या	बन्दोबस्त भूमि का रकबा (एकड़ में)	लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत
66167	64544	1938.51	97.55

गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती से आच्छादित महादलित परिवार

लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
वासरहित महादलित परिवार	परिवारों की संख्या	बन्दोबस्त भूमि का रकबा (एकड़ में)	लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत
36655	30525	749.45	83.25

बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत भूमि की बन्दोबस्ती से आच्छादित महादलित परिवार

लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
वासरहित महादलित परिवार	परिवारों की संख्या	बन्दोबस्त भूमि का रकबा (एकड़ में)	लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत
41374	42294	1237.70	102.22

रैयती भूमि के क्रय द्वारा आच्छादित वासरहित महादलित परिवार

लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
वासरहित महादलित परिवार	परिवारों की संख्या	बन्दोबस्त भूमि का रकबा (एकड़ में)	लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत
53649	32961	988.91	61.44

सभी चारों भूमि स्रोतों से वासभूमि रहित महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने के समग्र लक्ष्य के विरूद्ध कुल उपलब्धि

लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
वासरहित महादलित परिवार	परिवारों की संख्या	बन्दोबस्त भूमि का रकबा (एकड़ में)	लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत
197845	170324	4914.57	86.09

2. पुनःसर्वेक्षण (द्वितीय चरण का सर्वेक्षण) :–

महादलित योजनान्तर्गत प्रथम चरण के सर्वेक्षण के दौरान जो परिवार किसी कारणवश छूट गए थे, अथवा इस दौरान व्यस्क होकर पृथक परिवार के रूप में स्थापित हो गए हैं, का पुनसर्वेक्षण (द्वितीय चरण का सर्वेक्षण) कराया गया है। पुनसर्वेक्षण (द्वितीय चरण का सर्वेक्षण) के दौरान कुल–45,842 वासभूमि रहित महादलित परिवार चिन्हित किए गए हैं।

3. गृह–स्थल योजना

राज्य में सुयोग्य श्रेणी यथा अनुसूचित जाति (महादलित को छोड़कर), अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एनेक्सर–I तथा एनेक्सर–II के वैसे परिवार जिन्हें वासभूमि उपलब्ध नहीं है तथा जिन्हें सरकारी भूमि अथवा बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, के लिए 20000.00 रूपए की वित्तीय अधिसीमा के अधीन प्रति परिवार 03 डिसमिल रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराने हेतु गृहस्थल योजना राज्य में लागू हो गई है।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 500.00 लाख रूपए का आवंटन राज्य के जिलों को उपलब्ध कराया गया है। अबतक जिलों द्वारा कुल–70.05352 लाख रूपए का व्यय कर कुल–351 परिवारों को इस योजना के तहत वासभूमि उपलब्ध कराई गई है।

गृहस्थल योजनान्तर्गत उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2012–13

वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिलों को आवंटित राशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2012–13 में अबतक व्यय की गई राशि (लाख रूपये में)	भौतिक उपलब्धि	
		लाभान्वित परिवारों की संख्या	रकबा (एकड़ में)
500.00	70.05352	351	10.53

4. सम्पर्क सड़क योजना

सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत राज्य में वैसे ग्राम / टोले / मोहल्ले जिनका सम्पर्क मुख्य सड़क से नहीं है, को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु रैयती भूमि के अर्जन के लिए जिलों को वित्तीय वर्ष 2012–13 में 425.62 लाख रूपए आवंटित की गई है। आवंटित राशि के विरूद्ध अबतक 47.41514 लाख रूपए का व्यय किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अबतक 121 योजनाएँ पूर्ण करते हुए 120 ग्राम / टोले / मोहल्ले को सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिलों को आवंटित राशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय की गई राशि (लाख रूपये में)	इस योजना के तहत प्रारम्भ से अबतक पूर्ण हो गयी योजनाएँ	ग्राम/टोले/मोहल्ले की संख्या जिन्हें सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया
425.62	47.41514	121	120

5. सम्पर्क सड़क (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक) योजना

सम्पर्क सड़क (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक) योजनान्तर्गत राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए गृहस्थल हेतु रैयती भूमि के क्रय एवं अनुसूचित जाति के ग्रामों/टोलों/मोहल्लों को सम्पर्क सड़क से जोड़ने के लिए रैयती भूमि के अर्जन दोनों योजना सम्मिलित हैं। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में वित्तीय वर्ष 2012–13 में 74.38 लाख रूपए का बजट उपबन्ध रहने के कारण अनुसूचित जाति के लिए गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि के क्रय हेतु राज्य के जिलों को 74.38 लाख रूपए आवंटित कर दी गई है।

6. बिहार भूमि न्यायाधिकरण:–

बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 राज्य में लागू है। इस अधिनियम की धारा–4 **(i)** के अधीन अध्यक्ष, सदस्य (न्यायिक) एवं सदस्य (प्रशासनिक) की नियुक्ति वित्तीय वर्ष, 2011–12 में की गई है तथा उनके द्वारा कार्यों का सम्पादन भी किया जा रहा है। बिहार भूमि न्यायाधिकरण दिनांक–16.10.2012 से 11/ऑफ पोलो रोड, पटना स्थित सरकारी भवन में क्रियाशील है।

7. बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत वादों का निष्पादन:–

उपर्युक्त अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकार उप समाहर्त्ता भूमि सुधार हैं। भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अन्तर्गत प्रारम्भ से अब तक भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के न्यायालय में कुल 29649 (उनतीस हजार छः सौ उनचास) वाद दायर हुए हैं जिसमें कुल–20296 (बीस हजार दो सौ छियानवे) वादों का निष्पादन अब तक किया जा चुका हैं। निष्पादन का प्रतिशत 68.45 हैं। शेष वाद निष्पादन की प्रक्रिया में है।

8. सरकारी भूमि का हस्तांतरण :–

वित्तीय वर्ष 2012–13 में अब तक 93 भूमि हस्तांतरण के मामले की स्वीकृत दी गई जिसके अन्तर्गत **कुल–589.10985** एकड़ सरकारी भूमि हस्तांतरित किये गये, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	ग्राम (मौजा)	जिला	उद्देश्य	रकवा (एकड़ में)	विभाग / बोर्ड जिन्हें भूमि हस्तांतरण किया गया है
1	राजपुर	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.07	स्वास्थ्य विभाग
2	गोपनुऔव	बक्सर	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.91	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
3	उजावटा, दरौंदा	सिवान	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु	7.00	श्रम संसाधन विभाग
4	परसिया, राजपुर	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.10	स्वास्थ्य विभाग
5	फफदर, चौगाई	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.15	स्वास्थ्य विभाग
6	एकारसी, ब्रह्मपुर	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.10	स्वास्थ्य विभाग
7	अतरौना, इटाढ़ी	बक्सर	प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.12	स्वास्थ्य विभाग
8	चिलहर, इटाढ़ी	बक्सर	प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.12	स्वास्थ्य विभाग
9	रानीसिंहनपुरा, सिमरी	बक्सर	प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.10	स्वास्थ्य विभाग
10	शिवसागर	रोहतास	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	1.00	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
11	उजाय, दरौदा	सिवान	बाबू जगजीवन राम छात्रावास हेतु	1.26	अनु0 ज0, जा0 कल्याण विभाग
12	पाण्डेयपट्टी	बक्सर	अल्पसंख्यक छात्रावास हेतु	1.00	अल्प संख्यक कल्याण विभाग
13	पुनहा, रहुई	नालन्दा	प्राथमिक विद्यालय हेतु	0.17	शिक्षा विभाग
14	इगुणा, मानपुर	गया	वृद्धा आश्रम हेतु	2.00	समाज कल्याण विभाग
15	समसारा, बिहटा	पटना	पथ निर्माण हेतु	0.04	पथ निर्माण विभाग
16	कन्हौली, बिहटा	पटना	पथ निर्माण हेतु	0.815	पथ निर्माण विभाग
17	कटकुईया, बगहा	प0 चम्पारण	आइ0 टी0 आई0 हेतु	1.90	श्रम संसाधन विभाग
18	सन्धिला	बक्सर	प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.09	स्वास्थ्य विभाग
19	पैनाल, बिहटा	पटना	पथ निर्माण विभाग हेतु	0.48	पथ निर्माण विभाग
20	पैनाल, बिहटा	पटना	पथ निर्माण विभाग हेतु	0.12	पथ निर्माण विभाग

21	सैदपुर,	पटना	रिजिनल साइंस सेंटर/साइंस सेंटर हेतु	15.56175	विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग
22	चमरडीहा, सिलाव	पटना	आयुध कारखाना में बोरवेल हेतु	6.27	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
23	अमहारा, बिहटा	पटना	मेगा आद्यौगिक पार्क हेतु	0.26	उद्योग विभाग
24	गोविन्दपुर कौशली, रंगराचौक	भागलपुर	रंगराचौक प्रखंड कार्यालय हेतु	4.3	ग्रामीण विकास विभाग
25	रिवरी	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.12	स्वास्थ्य विभाग
26	टड़ीगंज	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.30	स्वास्थ्य विभाग
27	बरूहो	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.10	स्वास्थ्य विभाग
28	मुगाँव	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.12	स्वास्थ्य विभाग
29	बराढ़ी	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.10	स्वास्थ्य विभाग
30	पोखराहा	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.10	स्वास्थ्य विभाग
31	ओझावरांव	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.15	स्वास्थ्य विभाग
32	तेनुआ	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.10	स्वास्थ्य विभाग
33	महुली	पटना	उच्च न्यायालय के विस्तारीकरण हेतु	0.665	विधि विभाग
34	मोहर्मपुर	पटना	व्यवहार न्यायालय पटना के विस्तारीकरण हेतु	0.2835	विधि विभाग
35	कोपना	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.53	स्वास्थ्य विभाग
36	भादा	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.10	स्वास्थ्य विभाग
37	धरौली	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.10	स्वास्थ्य विभाग
38	राजपुर	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.10	स्वास्थ्य विभाग
39	कैथी	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.10	स्वास्थ्य विभाग
40	कन्हौली	पटना	पथ निर्माण हेतु	1.375	पथ निर्माण विभाग
41	करहंसी	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.20	स्वास्थ्य विभाग

42	हेतुआ	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.10	स्वास्थ्य विभाग
43	चुरामनपुर	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.10	स्वास्थ्य विभाग
44	सुजायतपुर	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.07	स्वास्थ्य विभाग
45	हरपुर	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.15	स्वास्थ्य विभाग
46	एकौनी	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.25	स्वास्थ्य विभाग
47	उत्तमपुर	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.15	स्वास्थ्य विभाग
48	सबलपुर	सारण	गंगा पथ हेतु	88.89	पथ निर्माण विभाग
49	सुकुमारपुर एवं अन्य	वैशाली	गंगा पथ हेतु	49.755	पथ निर्माण विभाग
50	मैनपुरा दियारा	पटना	गंगा पथ हेतु	45.9725	पथ निर्माण विभाग
51	दीघा दियारा	पटना	गंगा पथ हेतु	23.1933	पथ निर्माण विभाग
52	दुजरा दियारा	पटना	गंगा पथ हेतु	35.3525	पथ निर्माण विभाग
53	मोहम्मदपुर फाजिल	पटना	गंगा पथ हेतु	16.30	पथ निर्माण विभाग
54	दीघा दियारा	पटना	गंगा पथ हेतु	49.5185	पथ निर्माण विभाग
55	करनालगंज एवं अन्य	पटना	गंगा पथ हेतु	6.245	पथ निर्माण विभाग
56	थरथरी	नालन्दा	प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय हेतु	2.27	ग्रामीण विकास विभाग
57	लुअठाँहा	पूर्वी चम्पारण	सुरक्षा बल कार्यालय हेतु	1.00	गृह विभाग
58	शिवहर	सीतामढ़ी	पर्यवेक्षण गृह हेतु	0.67	समाज कल्याण विभाग
59	कर्मा भगवान	औरंगाबाद	पर्यवेक्षण गृह हेतु	1.00	समाज कल्याण विभाग
60	रामनकाबाद	मुंगेर	पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना हेतु	10.00	विज्ञान एवं प्रौ0 विभाग
61	शंकरडीह	नालन्दा	राजीव गाँधी सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु	0.03	ग्रामीण विकास विभाग
62	पोखरभिडा	प0 चम्पारण	पुलिस शिविर (ओ0पी0) की स्थापना हेतु	0.31	गृह विभाग
63	किउल	लखीसराय	बालगृह/पर्यवेक्षण गृह निर्माण हेतु	1.05	समाज कल्याण विभाग

64	माड़नपुर	गया	पिछड़ा वर्ग कल्याण छत्रावास निर्माण हेतु	1.00	पिछड़ा वर्ग अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
65	बुधौल	नवादा	बालगृह/पर्यवेक्षण गृह निर्माण हेतु	1.00	सामाज कल्याण विभाग
66	घराउत	जहानाबाद	विद्युत उपकेन्द्र स्थापना हेतु	1.00	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
67	जमुआँवा	जहानाबाद	औद्यगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु	5.00	श्रम संसाधन विभाग
68	रसूलपुर	नालंदा	वन प्रमंडल कार्यालय भवन निर्माण हेतु	0.64	वन विभाग
69	हिलसा	नालंदा	अग्निशाम कार्यालय हेतु	0.72	गृह विभाग
70	रूकनपुरा	पटना	विकलांग छात्रा विशेष विद्यालय हेतु	0.1378	समाज कल्याण विभाग
71	नदोखर	कैमूर	पावर ग्रिड सब स्टेशन हेतु	7.82	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
72	लोहानीपुर	पटना	कपूरा ठाकुर छात्रावास निर्माण हेतु	0.25	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
73	तेतरिया	गया	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु	5.00	श्रम संसाधन विभाग
74	बभना कटैया	जहानाबाद	बालगृह/पर्यक्षण गृह हेतु	1.00	समाज कल्याण विभाग
75	सिकन्दरा	जमुई	वानिकी कार्य हेतु	151.20	पर्यावरण एवं वन विभाग
76	चिरैयाटाड़	अरवल	जिला उद्योग केन्द्र हेतु	0.10	उद्योग विभाग
77	श्रीपुर	मधेपुरा	भोकराहा स्टेडियम हेतु	6.10	कला संस्कृति एवं युवा विभाग
78	वासुदेवपुर	दरभंगा	प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु	0.345	स्वास्थ्य विभाग
79	चुरली	किशनगंज	एस0एस0बी0 कुर्ली कोट कैम्प हेतु	1.16	गृह मंत्रालय भारत सरकार
80	मधुबनी	पूर्णियां	जिला परिवहन कार्यालय हेतु	0.32	परिवहन विभाग
81	युसुफपुर	वैशाली	रूडसेट्टी केन्द्र के लिए	1.00	ग्रामीण विकास विभाग
82	भादा ब्रहमपुर	बक्सर	स्वस्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.10	स्वास्थ्य विभाग
83	सागरपुर	जहानावाद	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	1.00	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

84	दललेगांव	किशनगंज	SSB कैम्प के लिए	5.00	गृह मंत्रालय भारत सरकार
85	दरियापुर	नालन्दा	डिग्री महाविद्यालय हेतु	4.66	शिक्षा विभाग
86	बेलही	बक्सर	नवसृजित विद्यालय बलीरामपुर के लिए	0.95	शिक्षा विभाग
87	कतरी	नालन्दा	स्वास्थ्य केन्द्र हेतु	1.45	स्वास्थ्य विभाग
88	करूप	रोहतास	अभियंत्रण महाविद्यालय हेतु	10.62	विज्ञान एवं प्रावैधिकि विभाग
89	सलेमपुर	पूर्वी चम्पारण	प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.10	स्वास्थ्य विभाग
90	बरियारपुर	पूर्वी चम्पारण	प्राथमिक विद्यालय हेतु	0.10	शिक्षा विभाग
91	महदह	बक्सर	प्राथमिक विद्यालय हेतु	0.20	शिक्षा विभाग
92	पुलवरिया	पूर्वी चम्पारण	प्राथमिक विद्यालय हेतु	0.12	शिक्षा विभाग
93	कौरूधरू	सारण	प्राथमिक विद्यालय हेतु	0.16	शिक्षा विभाग
				589.10985	

9. **भू–अर्जन** :– विकास प्रक्रिया में भू–अर्जन एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य परियोजनाओं के लिए भू–अर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु कदम उठाये गये हैं। सरकार के द्वारा बिहार भू–अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति, 2007 लागू की गई है। इसके तहत अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्य निर्धारण भूमि के निबंधन हेतु मुद्रांक शुल्क अधिरोपित किये जाने वाले मूल्य पर 50 प्रतिशत जोड़कर किया जाता है तथा सामान्य स्थिति में 30 प्रतिशत एवं भूधारी के द्वारा स्वेच्छा से भूमि दिये जाने पर 60 प्रतिशत सोलेशियम भी दिया जाता है।

क्र0	परियोजना का नाम	कुल रकवा (एकड़ में)
1	2	3
1	रेलवे परियोजना	133.367
2	काँटी थर्मल पावर स्टेशन, मुजफ्फरपुर	31.245
3	पीरपैती थर्मल पावर, भागलपुर	11.75
4	बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, बेगूसराय	3.75
5	चौसा थर्मल पावर, बक्सर	9.19
6	कजरा थर्मल पावर, लखीसराय	36.35
7	एन0पी0जी0सी0, औरंगाबाद	312.127
8	पावर ग्रीड	13.0843
9	सशस्त्र सीमा बल (एस0 एस0 बी0)	80.95
10	बिहटा–सरमेरा रा0उ0 पथ, पटना	99.8817
11	चण्डी–सरमेरा रा0उ0 पथ, नालन्दा	65.4875
12	राज्य उच्च पथ सं0–28, 88 एवं 83	80.23775
13	रा0 उ0 पथ सं0–87 (रून्नीसैदपुर–विशवा) सीतामढ़ी	56.277
14	रा0 उ0 पथ सं0–86 (सरैया–मोतीपुर) मुजफ्फरपुर	16.8175
15	मेगा इन्डस्ट्रीयल पार्क, बिहटा, पटना	2.42
16	राज्य उच्च पथ (महम्मदपुर–छपरा), सारण	28.7775
17	रा0उ0 पथ (सकड्डी –नासरीगंज),भोजपुर	87.141
18	कावँरिया पथ, मुंगेर/बाँका	23.3
19	अधारभूत संरचना विकास, नालन्दा	262.265
20	पुल एवं उपगम पथ (गंगा सहित अन्य नदियों पर)	732.02
21	अन्य परियोजना	125.21615
	कुल योग :–	**2211.6544**

10. वासगीत पर्चा:–

सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के बीच गृह हेतु वासगीत पर्चा का वितरण किया जाता है। वर्ष 2007–08 में 15700 व्यक्तियों के बीच वासगीत पर्चा वितरित की गई है, जिसमें 800.06 एकड़ भूमि सन्निहित है। वर्ष 2008–09 में 14184 व्यक्तियों के बीच 613.43 एकड़ भूमि का पर्चा वितरित हुआ। वर्ष 2009–10 में 10399 व्यक्तियों के बीच 366.03 एकड़ भूमि का पर्चा वितरित हुआ। वर्ष 2010–11 में 15558 व्यक्तियों के बीच 532.51 एकड़ भूमि का पर्चा वितरित हुआ। वर्ष 2011–12 में 10292 व्यक्तियों के बीच 433.46 एकड़ भूमि वितरित की गई है। वर्ष 2012–13 (अक्टूबर, 12 तक) में 7577 व्यक्तियों के बीच 275.95 एकड़ भूमि वितरित की गई है। इस निमित्त लागू कानून के तहत पात्र व्यक्ति द्वारा आवेदन दिये जाने के साथ–साथ राजस्व कर्मियों के द्वारा सर्वेक्षण कराते हुए त्वरित कार्रवाई किये जाने हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है।

वित्तीय वर्ष	कुल लाभान्वितों की संख्या	वितरित भूमि का रकबा (एकड़)
2007-08	15700	800.06
2008-09	14184	613.43
2009-10	10399	366.03
2010-11	15558	532.51
2010-11	15558	532.51
2011-12	10292	433.46
2012-13	7577	275.95

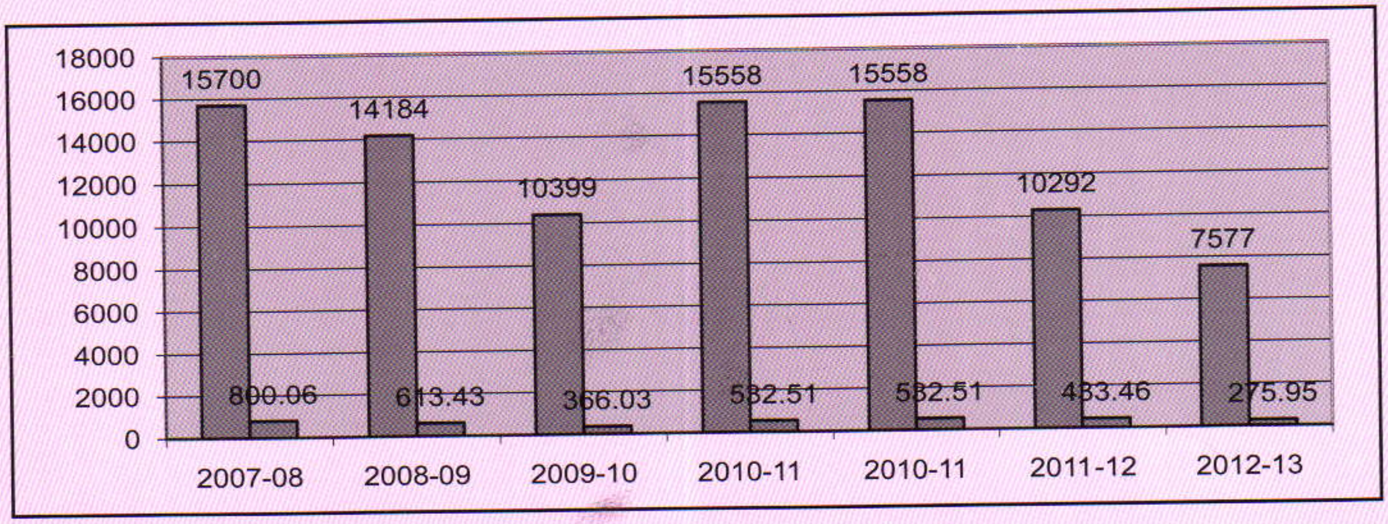

11. भू–हदबंदी अधिनियम के तहत प्राप्त अधिशेष भूमि का वितरण :–

भू हदबंदी अधिनियम के तहत सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के बीच अधिशेष भूमि का वितरण किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में कुल 750 एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध 1825 लाभान्वितों के बीच 655.72 एकड. भूमि का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2008–09 में कुल 155 लभान्वितों के बीच 64.09 एकड़ भूमि का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल 98 लभान्वितों के बीच 27.72 एकड़ भूमि का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल 111 लभान्वितों के बीच 43.98 एकड़ भूमि का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं वित्तीय वर्ष 2012–13 माह (अक्टूबर,12 तक) में प्रगति शून्य है।

(रकबा एकड़ में)

वर्ष 2006–07		वर्ष 2007–08		वर्ष 2008–09		वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11		वर्ष 2011–12	
भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या	भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या	भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या	भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या	भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या	भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या
901.12	2138	655.72	1825	64.09	155	27.72	98	43.98	111	0.00	0.00

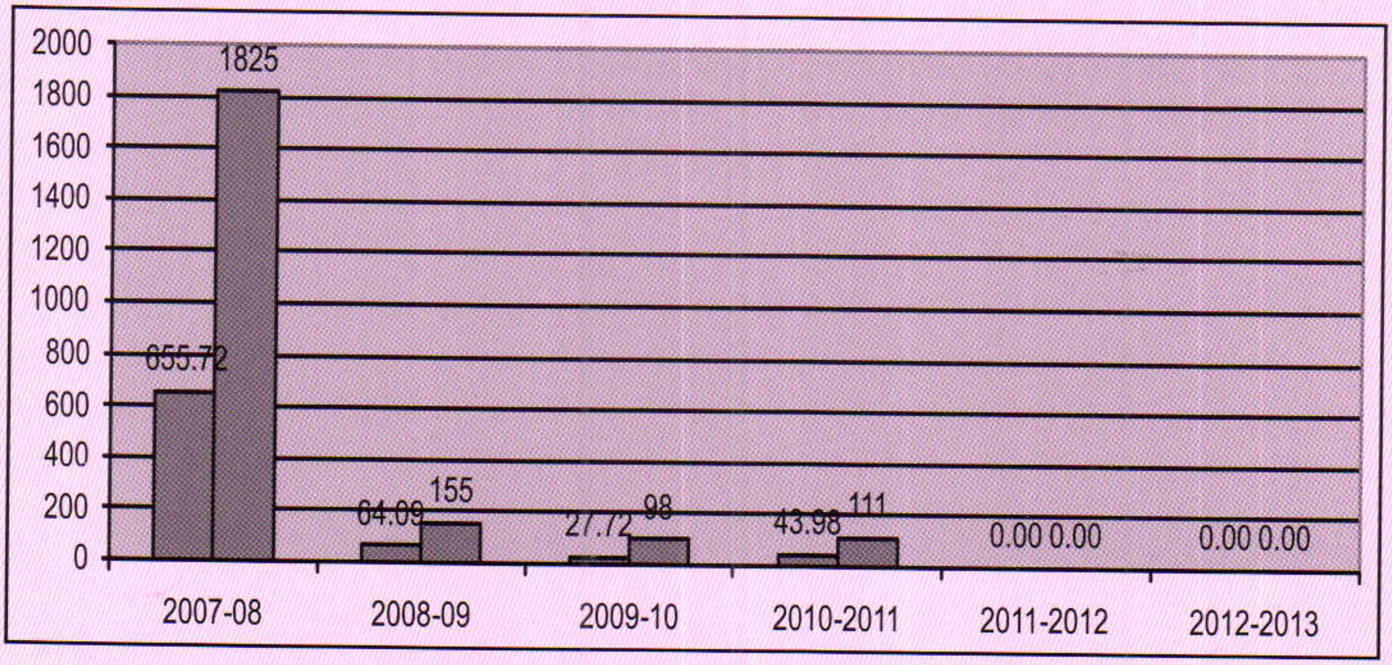

12. भू–दान :– राज्य अन्तर्गत भूदान से प्राप्त भूमि का वितरण बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के माध्यम से किया जाता है। राज्य में भूदान से प्राप्त कुल भूमि 6,48,593.14 एकड़ में से 3,45,349.02 एकड़ भूमि सम्पुष्ट की गई है। अभी तक 2,55,963.61 एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है। वितरण के योग्य शेष बची हुई 6949.62 एकड़ भूमि के वितरण का कार्य कमिटी द्वारा किया जा रहा है। बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, जिससे भूदान भूमि के वितरण एवं इससे जुड़े अन्य कार्यो पर व्यय की प्रतिपूर्ति होती है। वर्ष 2012–13 में भूदान यज्ञ कमिटी को सहाय्य अनुदान मद में 1,43,78,000 रूपये का बजट उपबंध किया गया है। वर्ष 2013–14 में भूदान यज्ञ कमिटी के लिए सहाय्य अनुदान हेतु 1,43,78,000 रूपये मात्र का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

(एकड़ में)

भू–दान से प्राप्त भूमि	सम्पुष्ट भूमि	वितरण के अयोग्य	वितरित भूमि	अवितरित शेष भूमि
648593.14	345349.02	385447.17	255963.61	6949.62

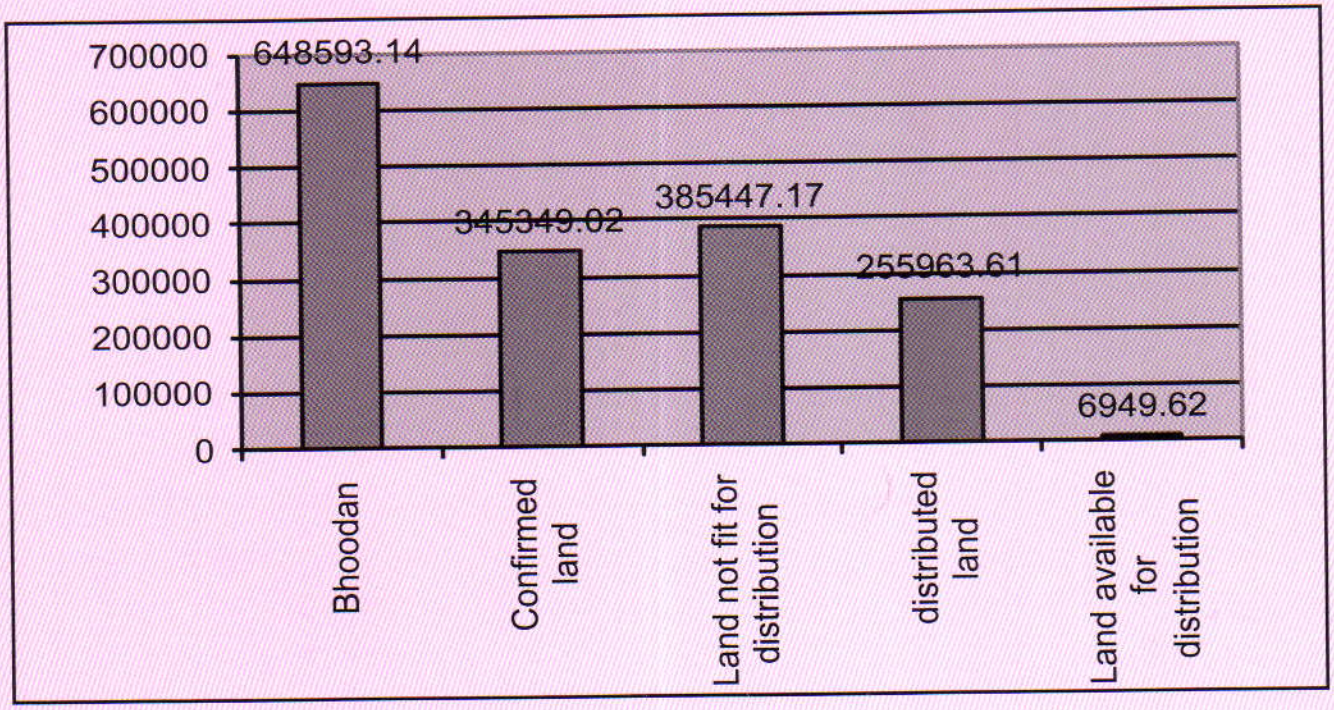

13. दाखिल खारिज :–

वर्ष 2007–08 में अबतक कुल 803973 दाखिल खारिज वादों का निष्पादन किया गया है। वर्ष 2008–09 में कुल 974528 वादों का निष्पादन किया गया है।वर्ष 2009–10 में कुल 784938 वादों का निष्पादन किया गया। वर्ष 2010–11 में 642564 वादों का निष्पादन किया गया। वर्ष 2011–12 में कुल 754402 वादों का निष्पादन किया गया। वर्ष 2012–13 में दिसम्बर तक कुल 1177066 वादों का निष्पादन किया गया। नामान्तरण की कार्रवाई पारदर्शी, प्रभावी एवं त्वरित बनाने के उद्धेश्य से निबंधन कार्यालयों से अंचल अधिकारीगण को एल.एल.आर. फी नोटिस के साथ निबंधित दस्तावेज की प्रति भी प्राप्त कराने का आदेश दिया गया, ताकि विहित प्रक्रिया अनुसार नोटिस देते हुए अंचल अधिकारी नामान्तरण की कार्रवाई अविलंब प्रारंभ करें। विभागीय परिपत्र संख्या –473 (9) दिनांक 31.11.09 द्वारा प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ मंगलवार को राज्य के सभी अंचलों में राजस्व शिविर आयोजित कर मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निदेश सभी समाहर्त्ताओं को दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	निष्पादित वादों की संख्या
2007-08	803973
2008-09	974528
2009-10	891618
20010-11	642564
20011-12	754402
20012-13	1177066

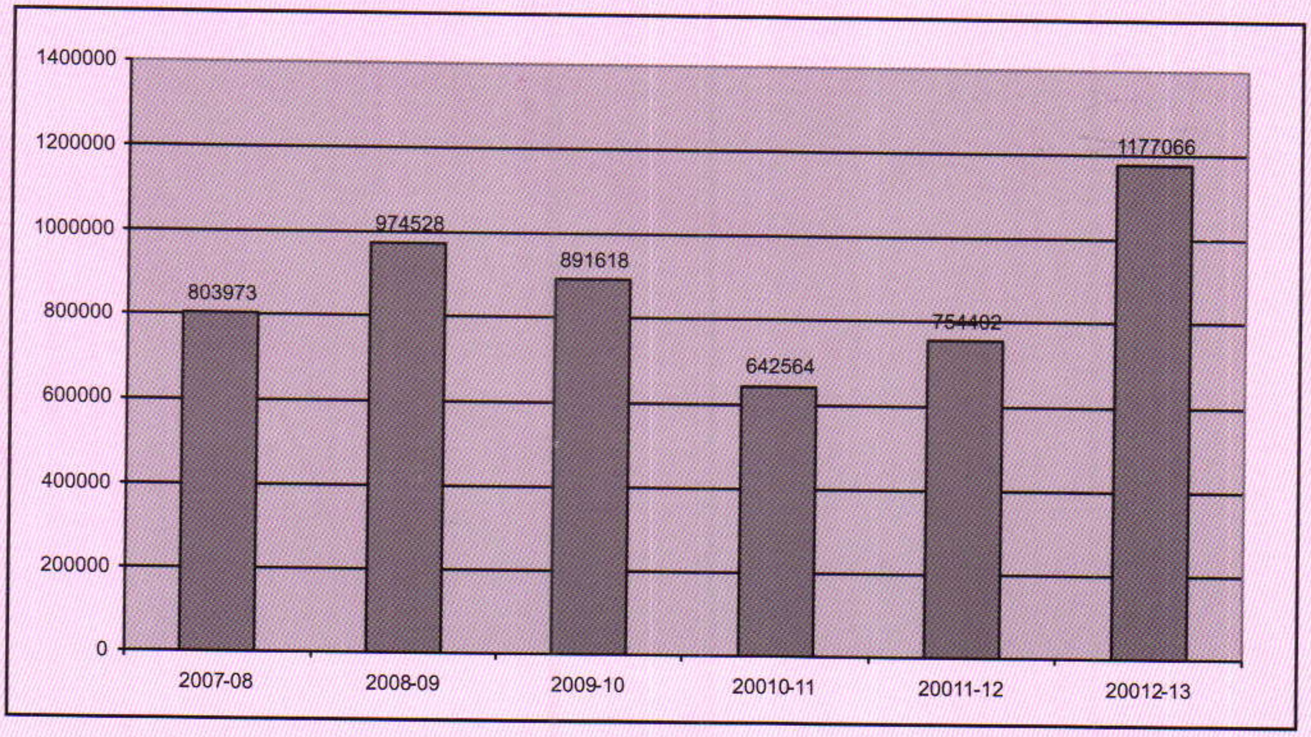

14. सैरातों की बन्दोबस्ती :–

वर्ष 2007–08 में कुल 5954 सैरातों में से बंदोबस्त सैरातों की संख्या 3787 एवं राशि 460.30 लाख रूपया है।वर्ष 2008–09 में कुल सैरातों की संख्या 6071 में से बंदोबस्त सैरातों की संख्या 4422 एवं राशि 605.15लाख रू0 है।वर्ष 2009–10 में कुल सैरातों की संख्या 7928 में से बंदोबस्त सैरातों की संख्या 4406 एवं राशि 916.42 लाख रू0 है। वर्ष 2010–11 कुल सैरातों की सं0–6927 में से बंदोबस्त सैरातों की संख्या–3368 एवं राशि 946.11 लाख रू0 है। वर्ष 2011–12 में कुल सैरातों की सं0–6903 में से बन्दोबस्त सैरातों की संख्या 3607 एवं राशि 102.33 लाख रूपये है। वर्ष 2012–13 (अक्टूबर तक) बन्दोबस्त सैरातों की संख्या 2743 एवं राशि 109.33 लाख रूपये है।

वर्ष	कुल सैरातों की संख्या	कुल बन्दोबस्त सैरातों की संख्या	कुल बन्दोबस्त सैरातों की राशि (लाख में)
2007-08	5954	3787	460.30
2008-09	6071	4422	605.15
2009-10	7928	4406	916.42
2010-11	6927	3368	946.11
2011-12	6903	3607	102.33
2012-13	6095	2743	109.33

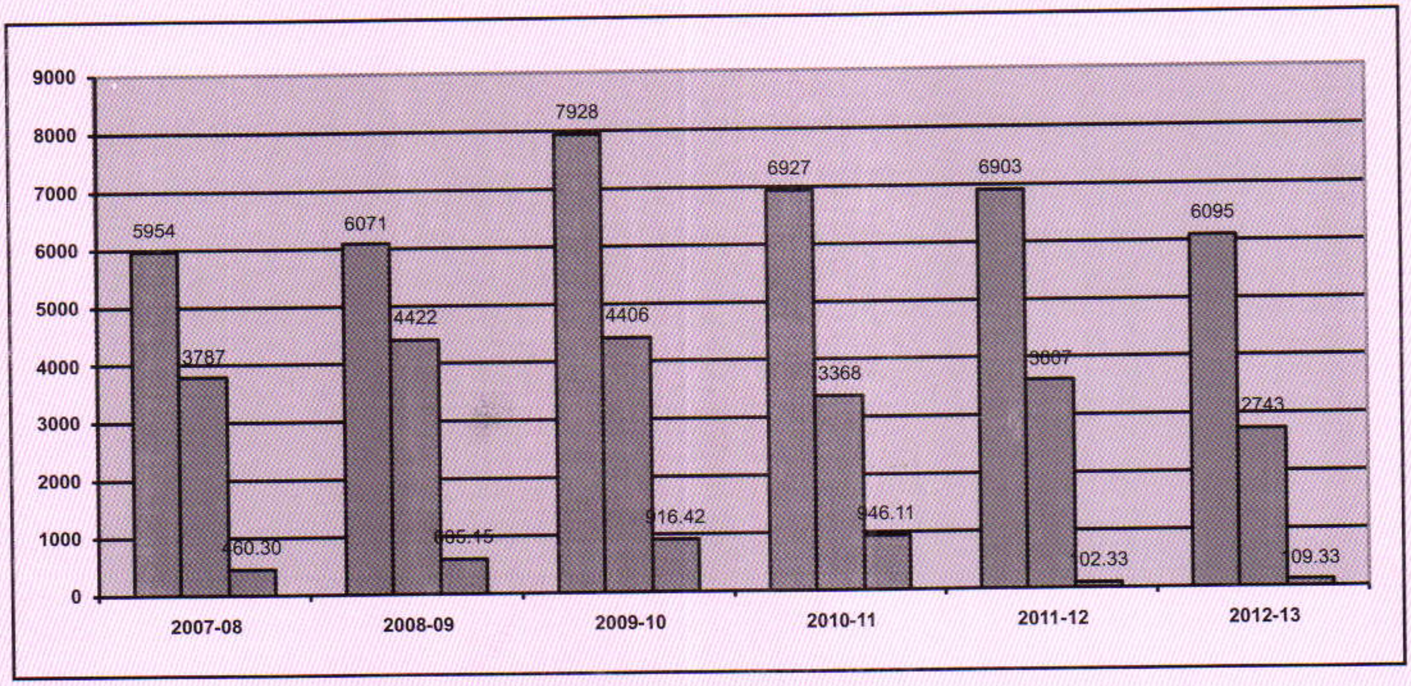

15. निलामपत्र वाद :–

वर्ष 2007–08 में कुल 22773 निलामपत्र वादों में 104.66 करोड़ रू0 की वसूली की गई है ।वर्ष 2008–09 में कुल 106.97 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2009–10 में कुल 69.53 करोड़ रूपये वसूली की गई है। वर्ष 2010–11 में 49.64 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2011–12 में कुल 5589.18 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2012–13 में कुल 100.81 करोड़ रूपये की वसूली की गई। सभी समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया है कि राशि के आधार पर निलामपत्र वादों को वर्गीकृत करते हुए बड़े बकायेदारों के विरूद्ध वसूली की कार्रवाई तेज करें।

(राशि करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वसूल की गई राशि
2007-08	104.66
2008-09	106.97
2009-10	69.53
2010-11	49.64
2011-12	5589.18
2012-13	100.81

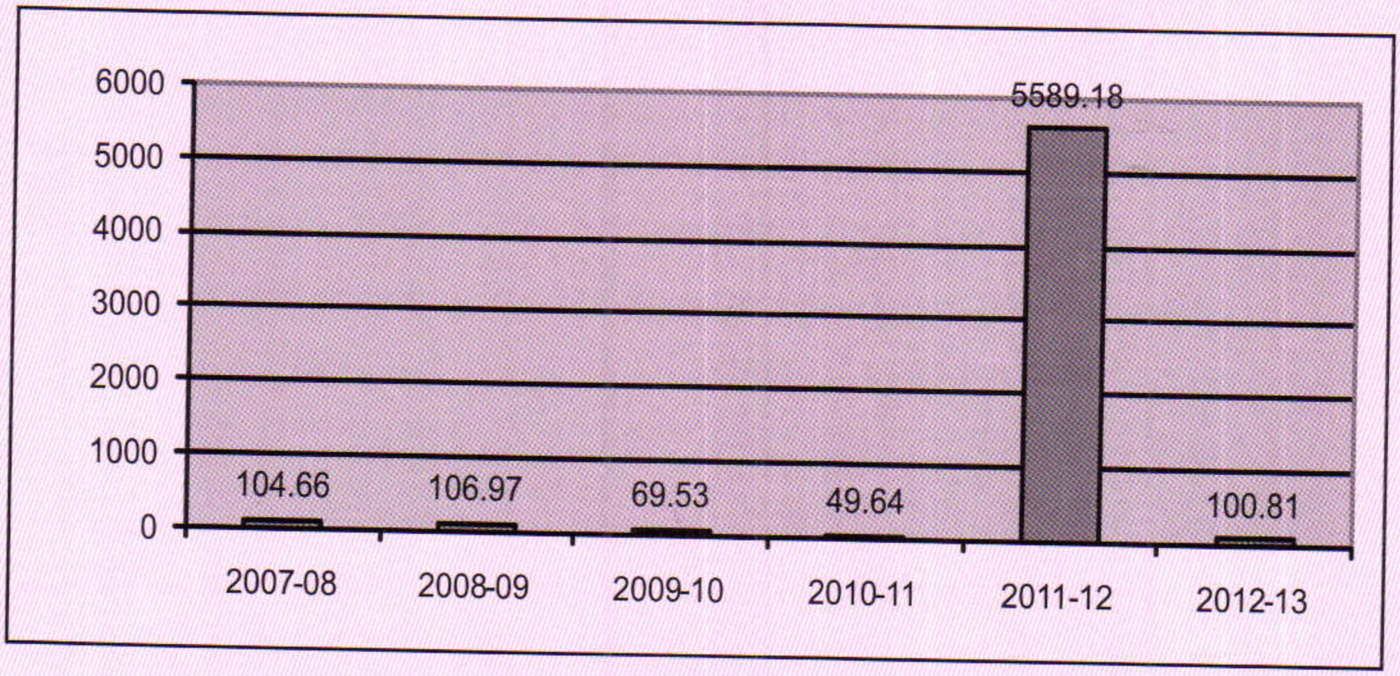

16. भू–लगानः–

भू–लगान की वसूली न सिर्फ़ राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं वरन् लगान रसीद भूमि संबंधी विवादों के निष्पादन एवं सामाजिक शांति बनाये रखने में भी अहम भूमिका अदा करती है। वर्ष–2007–08 में कुल माँग 100 करोड़ के विरुद्ध 27.46 करोड़ रूपये की वसूली की गई है जो लक्ष्य का 27.46 प्रतिशत है। वर्ष 2008–09 में कुल माँग 100 करोड़ के विरूद्ध 45.37 करोड़ रूपये की वसूली की गई जो लक्ष्य का 45.37 प्रतिशत है। वर्ष 2009–10 में कुल माँग 110 करोड़ के विरूद्ध 39.16 करोड़ रूपये की वसूली की गई जो लक्ष्य का 35.60 प्रतिशत है। वर्ष 2010–11 में कुल लक्ष्य 112 करोड़ के विरूद्ध 19.62 करोड़ की वसूली की गई जो लक्ष्य का 17.49 प्रतिशत है। वर्ष 2011–12 में कुल माँग 140 करोड़ के विरूद्व28.03 करोड़ की वसूली की गई जो लक्ष्य का 20.02 प्रतिशत हैं। वर्ष 2012–13 में कुल माँग 185 करोड़ के विरूद्ध 43.55 करोड़ की वसूली की गई जो लक्ष्य का 23.54 प्रतिशत है।

17. भूमि बैंक–

कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में भूमि की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्विवाद है। सूचना प्राद्यौगिकी की सर्वव्यापी उपयोगिता के मद्देनजर भू–अभिलेखों के निर्माण एवं संधारण सहित समग्र भूमि प्रबन्धन व्यवस्था में इसे समाहित करते हुए एक व्यापक भूमि संसाधन प्रबन्धन कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

18. भू–अभिलेखों का अद्यतनीकरण (विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम) :–

इस योजनान्तर्गत कैडस्ट्रल सर्वेक्षण द्वारा तैयार किए गए भू–अभिलेखों को अद्यतन करते हुए भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण तथा खतियान का प्रकाशन तथा लगान निर्धारण करना मुख्य उद्देश्य है। लगान निर्धारण के फलस्वरूप सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी होती है। यह एक जन–कल्याणकारी योजना है, जिसमें रैयतों के हितो की रक्षा की जाती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तथा भू–अभिलेखों के अद्यतनीकरण कार्य हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 अधिनियमित किया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 में आधुनिक तकनीक के उपयोग से अद्यतन सर्वे मानचित्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

केन्द्र प्रायोजित योजना नेशनल लैण्ड रिकार्डस मॉडरनाईजेशन प्रोग्राम – एन0एल0आर0एम0पी0 के अन्तर्गत आधुनिक तकनीक से राज्य के सभी जिलों के खतियान/मानचित्र को

अद्यतन करने की योजना है। इस कार्य हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 में आधुनिक तकनीक से री–सर्वे मानचित्र तैयार करने का प्रावधान रखा गया है। आधुनिक तकनीक के रूप में हवाई फोटोग्राफी तथा जमीनी सत्यापन के मिश्रित विकल्प का चुनाव किया गया है। इस विकल्प का प्रयोग के तौर पर सर्वप्रथम नालन्दा जिला के कतरीसराय अंचल में परीक्षण किया गया। परीक्षण के फलस्वरूप हवाई फोटोग्राफी से तैयार किये गये री–सर्वे मानचित्रों को जमीनी सत्यापन के उपरान्त सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य हेतु उपयुक्त पाया गया है। उक्त मानचित्रों के आधार पर कतरीसराय अंचल के चार राजस्व ग्रामों में खानापुरी का कार्य भी पूरा कर लिया गया है एवं आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से तैयार किए गए मानचित्रों के सत्यापन के उपरांत भू–धारियों को अद्यतन अधिकार अभिलेख (खतियान) की आपूर्ति संबंधित भू–खंड की मानचित्र की प्रति के साथ प्राप्त करायी जाएगी।

कतरीसराय अंचल के परीक्षण के बाद राज्य के समस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों का हवाई फोटोग्राफी से री–सर्वे मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। इसके अन्तर्गत तीन अतिरिक्त तकनीकी रूप से दक्ष एजेंसियों का चुनाव कर लिया गया है। विभाग के पास पूर्व से एक एजेंसी उपलब्ध है। नवचयनित एजेंसियों के साथ एकरारनामा करते हुए जिलों को आवंटन भी कर दिया गया है। इस प्रकार आधुनिक तकनीक से अद्यतन री–सर्वे मानचित्र के निर्माण हेतु लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सक्रिय कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। इस कार्य हेतु 14994/= (चौदह हजार नौ सौ चौरानवे) रूपये प्रति वर्ग कि0मी0 (सभी कर सहित) की दर से 50–50 प्रतिशत केन्द्र एवं राज्य सरकार के अंशदान की राशि से व्यय का प्रावधान है।

आधुनिक तकनीक के उपयोग से तैयार किये गये भू–अभिलेखों के संधारण हेतु सभी अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार स्थापित किए जाएँगे। आधुनिक अभिलेखागार में भू–अभिलेखों की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी संधारित की जाएगी। इस कार्य हेतु अंचल स्तर पर भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। भवन निर्माण कार्य की लागत का व्यय भार राज्य योजना मद से वहन किया जाता है। अभी तक नालन्दा, सारण, भागलपुर, मुंगेर एवं शेखपुरा जिला के 70 अंचलों में भवन निर्माण का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। भवन निर्माण कार्य हेतु राज्य योजना मद से 30.65 लाख (तीस लाख पैसठ हजार) रूपये प्रति अंचल के दर से राशि का व्यय किया जाता है। उक्त अभिलेखागारों के लिए आधुनिक उपकरणों का क्रय केन्द्रीय अंशदान की राशि से 12.50 लाख (बारह लाख पचास हजार) रूपये प्रति अंचल के दर से व्यय किया जाता है।

19. भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण:– योजना के अन्तर्गत राज्य के दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास तथा भागलपुर का अद्यतन चालू खतियान का कम्प्यूटरीकरण करते हुए इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य के शेष सभी जिलों के अद्यतन चालू खतियान का कम्प्यूटरीकरण करते हुए इसे विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

अद्यतन एवं कम्प्यूटरीकृत चालू खतियान को राजस्व मानचित्र के साथ एकीकृत करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इसके लिए आवश्यक है कि कागज पर तैयार किए गए राजस्व मानचित्रों का डिजिटाईजेशन कराया जाए। अभी तक भोजपुर, बक्सर, रोहतास तथा कैमूर जिले के 14672 (चौदह हजार छः सौ बहत्तर) शीट तथा मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी अंचल के 1152 (एक हजार एक सौ बावन)शीट राजस्व मानचित्र का डिजिटाईजेशन कर मूल मानचित्र से सत्यापन कर लिया गया है। शेष राजस्व मानचित्रों के डिजिटाईजेशन कार्य हेतु कुल 04 एजेंसियों को कार्य आंवटित कर दिया गया है। दिसम्बर, 2013 तक शेष सभी राजस्व मानचित्रों को डिजिटाईज्ड करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 1124/=(एक हजार एक सौ चौबीस) रूपये प्रति मानचित्र (सभी कर सहित) की दर से 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान की राशि से व्यय का प्रावधान है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के अंतर्गत भू–अभिलेखों के अद्यतनीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु विभाग को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन निबंधित सोसाईटी के रूप में किया गया है। इस सोसाईटी के लिए व्यय भार का वहन 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान की राशि से किया जाता है। इस सोसाईटी में अस्थायी रूप से तकनीकी विशेषज्ञ/सलाहकार की सेवा प्राप्त की जाएगी जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विशिष्टताओं के उपयोग हेतु विभाग को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराएँगे तथा योजनाओं के तकनीकी अनुश्रवण में भी आवश्यक सहयोग विभाग को उपलब्ध कराते रहेंगे।

विभिन्न प्रकार की योजनाओं की तकनीकी विशिष्टताओं की जानकारी के लिए संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान,

शास्त्रीनगर, पटना का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण किया जा रहा है। इस कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग को नब्बे लाख रूपये का आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए एन0एल0आर0एम0पी0 सेल गठित करने हेतु एक करोड़ सतरह लाख रूपये का अनुदान विमुक्त किया गया है। इस राशि से प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु आधुनिक उपकरणों का क्रय बेलट्रॉन के माध्यम से करने के लिए क्रयादेश निर्गत किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्यस्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में बोधगया स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान के सुदृढ़ीकरण तथा विस्तारीकरण की भी योजना है जिसके लिए भवन निर्माण विभाग के माध्यम से तकनीकी प्राक्कलन तैयार करा लिया गया है।

20 प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँः–

(1) अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर नियुक्ति–

(i) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड में कुल 266 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक–597 दिनांक–05.10.2010 द्वारा भेजी गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षाफल प्रकाशित किया गया है। अन्तिम रूप से अनुशंसा प्राप्त होने पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।

(ii) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी से अंचल निरीक्षक के पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर कुल 127 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना विभागीय पत्रांक–481 दिनांक–16.11.2012 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराई गयी है। आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त कुल 127 राजस्व कर्मचारी को अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।

21. चकबन्दी

जोतों की चकबन्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्त्तमान में राज्य के 5 जिलों के निम्नलिखित कुल 39 अंचलों में सक्रिय रूप से कार्य जारी है –

भोजपुर	बक्सर	कैमूर	रोहतास	गोपालगंज
1. पीरो	1. डुमरांव	1. मोहनिया	1. सासाराम	1. कटैया
2.संदेश	2. ब्रह्मपुर	2. भभूआ	2. डिहरी	
3. चरपोखरी	3. ईटाढ़ी	3. चांद	3. नासरीगंज	
4. बिहीया	4. सिमरी	4. भगवानपुर	4. काराकाट	
5. बड़हरा	5. नवानगर	5. दुगावर्त्ती	5. विक्रमगंज	
6. उद्वन्तनगर	6. बक्सर सदर	6. चैनपुर	6. दिनारा	
7. शाहपुर	7. राजपुर	7. रामगढ़	7. करगहर	
8. कोईलवर		8. कुदरा	8. शिवसागर	
9. सहार			9. चेनारी	
10. तरारी			10. नोखा	
11. जगदीशपुर			11. दावथ	
12. आरा सदर				

वर्ष, 2013–14 में 150 ग्रामों में चकबन्दी कार्य पूर्ण कर उन्हें चकबन्दी अधिनियम की धारा–26 (क) के अन्तर्गत अनाधिसूचित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्वर्गो के कुल 745 कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर करने की कार्रवाई की जा रही हैं। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में 21 ग्रमों में चकबंदी कार्य पूर्ण कर अधिनियम की धारा 26 (क) के अन्तर्गत अनाधिसूचित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु 1600 लाख (सोलह करोड़) रूपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

22. <u>सूचना का अधिकार / अधिनियम</u> :–

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अस्तित्व में आने तथा भू विवादों के प्रभावी समाधान के निमित्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के अधीन मुख्यालय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)/भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना/भू–अभिलेख परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना/चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना एवं सभी कार्यालयों के लोक सूचना पदाधिकारी **959** एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार **298** का पदनाम सहीत जिलावार सूची राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करा दिया गया है। प्राथमिकता के आधार पर अधिनियम के कार्यान्वयन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

23. <u>बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम</u> :–

राज्य में बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2011 अगस्त, 2011 से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा (i) दाखिल खारिज (ii) भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र के

समय सीमा के अन्दर निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2012–13 के माह दिसम्बर तक कुल–3,49,003 भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत किये जा चुके है।

24. कृषि गणना :–

कृषि गणना एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। कृषि गणना के आंकड़े विकास कार्यक्रमों के निरूपण एवं उनके प्रगति के लिए अत्यन्त उपयोगी है। इस योजना के तहत कृषि गणना 2010–11 का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। कृषि गणना अन्तर्गत कृषि अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण पहलुओं तथा जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल, भू–उपयोग,सिचाई की स्थिति, फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल आदि से संबंधित ऑकड़े संग्रहीत किए जाते हैं जो योजनाओं के निर्माण के लिए उपयोगी हैं। इस प्रक्षेत्र में गैर योजना मद में स्थापना अन्तर्गत 12.86 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

कृषि गणना 2010–11 के प्रथम चरण का कार्य यथा ऑपरेशनल होल्डिंग की संख्या एवं क्षेत्रफल से संबंधित ऑकड़ों का संकलन कार्य पूरा हो चुका है। कृषि गणना का द्वितीय चरण का कार्य प्रगति में है। यह प्रयास है कि कृषि गणना का कार्य ससमय संपन्न करा लिया जाएगा।

केन्द्रीय प्रक्षेत्र की योजना कृषि गणना अन्तर्गत योजना मद में वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए 58 लाख व्यय का अनुमान है जो मुख्यतः स्थापना मद में वेतन/भत्ते तथा प्रपत्रों के मुद्रण आदि पर व्यय किया जाना है।

25. मेला प्राधिकार :–

बिहार राज्य मेला प्राधिकार अधिनियम, 2008 राज्य में लागू है । इस अधिनियम के तहत राज्य अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध मेले के सुव्यवस्थित प्रबंधन के साथ–साथ मेले हेतु अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

बिहार राज्य मेला प्राधिकार के तत्वावधान में मेलों का आयोजन (2012–13):–

वित्तीय वर्ष 2012–13 में बिहार राज्य मेला प्राधिकार के तत्वावधान में निम्नांकित मेलों के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु दिए गये आवंटन की स्थिति :–

क्र0	मेला का नाम	जिला पदाधिकारी को आवंटित राशि
1	हजरत मौलाना हफीजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 100 वॉ उर्स,कटिहार	85000
2	श्रावणी मेला, भागलपुर	5000000
3	श्रावणी मेला, बेगूसराय	1175000
4	श्रावणी मेला बॉका	3175000
5	श्रावणी मेला, अरेराज, पू0 चम्पारण	635000
6	श्रावणी मेला, जमुई	675000
7	श्रावणी मेला, लखीसराय	2100000
8	बाबा गरीब नाथ, श्रावणी मेला मुजफ्फरपुर	2175000
9	बाबा दुधनाथ, श्रावणी मेला, मुजफ्फरपुर	1000000
10	पितृपक्ष मेला, पुनपुन, पटना	500000
11	पितृपक्ष मेला, गया	2500000
12	बाबा चौहरमल मेला, घोसवरी, पटना	1500000
13	सिमरिया मास मेला, बेगूसराय	696611
14	मलमास मेला, राजगीर	800000
15	श्रावणी मेला, मुंगेर	1775000

16	श्रावणी मेला, बेगुसराय 2011–12	671970
17	बाबा गरीब नाथ श्रावणी मेला, मुजफ0 2011–12	620000
18	बाबा गणिनाथ मेला, बुढ़रा, अथमलगोला 04 CWJC No. 2426/06	358377
19	बाबा उमानाथ मंदिर, माघी एवं महाशिवरात्री मेला CWJC No. 2427/06	551089
20	बाबा दुधनाथ महादेव मंदिर, महाशिवरात्री मेला, मुजफ्फरपुर 2011–12	442000
21	बाबा गरीबनाथ माघी पूर्णिमा, मुजफ0 2011–12	531959
22	बाबा गरीबनाथ महाशिवरात्री मेला, मुजफ0	297500
23	श्री ऋगी ऋषिधाम मंदिर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय माघी पूर्णिमा एवं महाशिवरात्री मेला।	1276568
24	बाबा इन्द्रदमनेश्वर महादेव मंदिर, माघी पूर्णिमा एवं महाशिवरात्री मेला 2011–12	1281950
25	बाबा हरिगिरीधाम माघी पूर्णिमा एवं महाशिवरात्री मेला 2011–12 बेगुसराय	1260000
26	पुनपुन खरमास मेला 2011–12	804200
27	देव छठ मेला, औरंगाबाद	677918
28	सिमरिया मास मेला, बेगुसराय 2011–12	197258
29	बाबा हरिगिरीधाम श्रावणी मेला, बेगुसराय 2011–12	907600
	कुल योग	33670000 (तीन करोड़ छतीस लाख लाख सतर हजार) मात्र

26. महिला सशक्तीकरण :–

सामाजिक रूप रेखा की परिवारिक कड़ी को सुदृढ़ करने हेतु यह आवश्यक हे कि अन्य सम्पत्तियों के साथ भू सम्पत्तियों के स्वामित्व एवं अधिकार में महिलाओं की अहम भूमिका हो । उसके लिए खासकर महादलित एवं उपेक्षित वर्ग के परिवारों को सरकारी भूमि बंदोवस्त करने के समय महिलाओं के नाम से पर्चा निर्गत करने की कार्रवाई आवश्यक है, जिसे अधिनियम तथा परिपत्रों के माध्यम से लागू करने की कार्रवाई की गई है।

27. नये अधिनियम / नियमावली / नीति :–

1. बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली, 2012 ।
2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 ।
3. बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012 ।
4. बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2012 ।
5. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 ।
6. बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2012 ।
7. बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2012 ।
8. बिहार राज्य मेला प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 ।

वित्तीय वर्ष 2013–14 का भावी कार्यक्रमों की रूप–रेखा :–

वित्तीय वर्ष–2013–14 में अधियाची विभाग / प्राधिकार से प्राप्त होने वाले अधियाचना के आधार पर विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन के भावी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की विवरणी:–

1 भारत–नेपाल सीमा के समानान्तरण पथ निर्माण।

2 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)।

3 अररिया–गलगलिया नई बड़ी रेल लाईन।

4 दरभंगा–कुशेश्वर स्थान नई बड़ी रेल लाईन।

5 गया–चतरा नई बड़ी रेल लाईन।

◆◆◆

Printed at : INDIAN ARTS OFFSET, Basement of S.B.I, Mahendru, Patna - 6
Ph. : (O) 267 8074, (M) 94310 11172, E-mail : indianartsoffset@yahoo.com